छठी वार्षिक आम बैठक की सूचना

Notice for Sixth Annual General Meeting

सोमवार, 22 जून, 2015 पूर्वाह्न 10.00 बजे

Monday, 22nd June 2015 at 10.00 A.M.

सभा स्थल AT

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलविडीयर रोड़,
कोलकाता- 700027

Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road,
Kolkata – 700027

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

UNITED BANK OF INDIA

प्रधान कार्यलय,11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700001

Head Office: 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata – 700001.

Website / वेबसाइट | www.unitedbankofindia.com

सामग्री

पृष्ठ संख्या

नोटिस.....1

टिप्पणियां.....4

प्रॉक्सी का आवेदन.....31

उपस्थिति स्लिप, मतदान पत्र पारित करना और एंट्री पास.....33

CONTENTS

Page No.

Notice.....15

Notes.....18

Form of Proxy.....32

Attendance Slip & Entry Pass.....34

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालयः युनाइटेड टॉवर 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता –700001

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के अनुसरण में, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की छठी वार्षिक आम बैठक सोमवार, 22 जून, 2015 को पूर्वाहन 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, कोलकाता–700027 में, निम्नलिखित व्यवसाय चलाने हेतु आयोजित की जाएगी :–

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का अनुमोदन और अंगीकार करना, खाते और तुलनपत्र पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और खाते में शामिल उक्त अवधि के लिए निदेशक मंडल द्वार प्रस्तुत बैंक के कार्य और क्रियाकलाप की रिपोर्ट की चर्चा करना

2. किसी प्रकार के संशोधन अथवा बगैर संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में, अगर उचित समझा जाए, तो विचार करना और पारित करना

"संकल्प किया गया कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और युनाइटेड बैंक (शेयर और बैठक) अधिनियम, 2010 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार **(जीओआई),** भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी) और/अथवा इस संबंध में किसी विभाग, भारतीय प्रतिभूति बोर्ड **("सेवी"),** और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी भी प्राधिकारी और उक्त शर्तों तथा उनके द्वारा उक्त अनुमोदन की मंजूरी से संबंधित विहित किसी संशोधन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल सहमत हो, अर्थात सेवी (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षा) अधिनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियमन)/मार्गदर्शन, यदि हो, भारतीय रिजर्व बैंक और सेवी द्वारा निर्धारित, अधिसूचना/परिपत्रों और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के तहत स्पष्टीकरण, भारतीय प्रतिभूति बोर्ड अधिनियम, 1992 और सभी प्रयोज्य कानून और समय–समय पर सभी अन्य संगत प्राधिकारियों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध करार के शर्ताधीन, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को (इसके आगे इसे **"बोर्ड"** कहा गया है, इस संकल्प के द्वारा सौंपे गए अधिकारों समेत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक समिति है और जिसके तहत बोर्ड का गठन किया गया है।) दी गई सहमति, अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति (फार्म आवंटन और/अथवा निर्गम के उक्त भाग के प्रतिस्पर्धा के आधार पर आरक्षण हेतु प्रावधान समेत और कानून द्वारा उक्त वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुमत और प्रयोज्य) के प्रावधानों अनुसरण में, फ्लो–ऑन पब्लिक ऑफेरिंग (एफपीओ) द्वारा, राइट इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) अथवा प्रस्ताव अभिलेख, सूचीपत्र अथवा भारत या विदेश में, विहित किसी अन्य अभिलेख के माध्यम से जैसे उचित समझा जाए पूंजी निर्गम के किसी अन्य रूप में, प्रत्येक रु 10/– के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर, प्रीमियम समेत रुपए एक हजार करोड़ से अधिक नहीं, जिसे मिलाकर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु 839.52 करोड़ बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी रु 300 करोड़ के भीतर होगा अथवा भविष्य में उक्त अधिनियम के किसी संशोधन के अनुसरण में निर्धारित किसी वर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक, इस प्रकार कि बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का केंद्र सरकार द्वारा धारण हमेशा 51% के नीचे नहीं होगा, चाहे वह बाजार मूल्य के प्रीमियम या बट्टा में हो, एक या अधिक चरणों में, एक अथवा अधिक सदस्य समेत, बैंक के कर्मचारी, भारतीय, अनिवासी भारतीय, **("एनआरआई"),** निजी अथवा सार्वजनिक कंपनी, निवेश संस्थान, समितियां, न्यासी, खोज संस्थान, क्वालिफाइड इनस्टिट्यूशनल बायर्स **("क्यूआईबी")** अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक **("एफआईआई"),** बैंक, वित्तीय संस्थाएं, म्युचुअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाएं अथवा अन्य निकाय, प्राधिकारी अथवा अन्य किसी प्रकार के निवेशक, जो मौजूदा विनियम/दिशानिर्देश अथवा उपर्युक्त के संयोग से बैंक द्वारा जैसे उचित समझा जाता है बैंक के इक्विटी शेयर/अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।"

"पुनः संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल एतद्द्वारा जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधकों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों अथवा अन्य से परामर्श करके, निर्गम की शर्तें, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उक्त कानून, नियम, विनियम, सेवी आईसीडीआर विनियम समेत, दिशा निर्देश, अधिसूचना, और प्रयोज्य निर्देशों से परामर्श करके निर्गम का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।"

"पुनः संकल्प किया गया कि सेवी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में–

क. सेवी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स को प्रतिभूतियों का आवंटन

होगा, उक्त प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से प्रदत्त होगी और उक्त प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख. प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए सगंत तारीख सेवी आईसीडीआर विनियम के अनुसार किया जाएगा ।

ग. उक्त सेवी आईसीडीआर विनियम के विनियम 85(1) के प्रावधान के अनुसरण में शेयरों को उपर्युक्त न्यूनतम मूल्य पर 5% तक बट्टे में प्रस्ताव करने के लिए बैंक प्राधिकृत है।

''संकल्प किया गया कि, निदेशक मंडल एतद्द्वारा किसी प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए जैसे कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, अथवा ऐसे समुचित प्राधिकारी अपने अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गत के लिए स्वीकृति, आवंटन और सूचीकरण के लिए और बोर्ड की सहमति से प्राधिकृत होगा ।''

''पुनः संकल्प किया गया कि, एनआरआई, एफआईआई और/अथवा अन्य योग्य विदेशी निवेशकों, जैसे प्रयोज्य, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई के अनुमोदन के शर्ताधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत समग्र सीमा के भीतर नए इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियां, यदि हो, का निर्गम और आवंटन होगा ।''

''पुनः संकल्प किया गया कि, जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर संशोधित युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के शर्ताधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश समेत सभी संबंध में समरूप के लिए योग्य होगा जोकि उक्त घोषणा के समय प्रयोज्य सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसार होगा ।''

''पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद्द्वारा अग्रणी प्रबंधकों, बैंकर्स, हामीदारों, डिपाजिटॉरी, और सभी एजेंसी जो उक्त इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल हैं, सभी व्यवस्था, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि करने और उक्त सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकेरेज, शुल्क अथवा अन्य के द्वारा पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।''

''पुनः संकल्प किया गया कि, इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके अथवा बिना परामर्श से, निर्गम की शर्तें, निवेशक वर्ग समेत जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां जिसे प्रत्येक चरण में आवंटित किया जाना है, निर्गम मूल्य (प्रीमियम समेत, अगर है, तो) अंकित मूल्य, निर्गम/रुपांतरण/ वारंट का प्रयोग/प्रतिभूतियों का विमोचन, ब्याज दर, विमोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों की संख्या अथवा रुपांतरण अथवा विमोचन अथवा प्रतिभूतियों के रद्द करने, मूल्य, निर्गम पर बट्टा अथवा प्रीमियम/प्रतिभूतियोंकारुपांतरण, ब्याजदर, रुपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख का निर्धारण अथवा खाता बंदी और संबंधित अथवा अनुषंगी विषय, भारत में और/अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध अथवा किसी निर्गम के प्रयोज्य कानून, नियम एवं विनियम के तहत अनुमत असूचीबद्ध शेयरों/प्रतिभूतियों का निपटान करने के लिए बोर्ड जो उचित समझेगा, उसके लिए प्राधिकार होगा ।''

''पुनः संकल्प किया गया कि, इक्विटी शेयर/अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों के आवंटन अथवा किसी निर्गम को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को एत्तद्वारा अपने पूर्णविवेक से सार्वजनिक प्रस्ताव समेत निवेशक वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित किया जाना है, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जानेवाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, प्रीमियम राशि और सभी कार्य, उक्त कार्य को करने के लिए अपेक्षित वस्तु, दस्तावेज और करार, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से, जैसा उचित, सटीक और उपयुक्त समझे और किसी प्रश्न के उत्तर के लिए निदेश अथवा अनुदेश देने, सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा और संदेह उत्पन्न होने के मामले में, निर्गम, निर्गम प्राप्तियों के प्रयोग एवं आवंटन, उक्त संशोधन को प्रभावी बनाने एवं स्वीकार करने, शर्तों के संबंध में परिवर्तन, संशोधन, जोड़ने–घटाने, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से जैसा उचित और सटीक समझे, बैंक के पूर्ण हित में, सदस्यों के पुनः अनुमोदन अथवा प्राधिकार के बगैर, कि शेयरधारकों द्वारा उक्त संबंध में दिए गए अनुमोदन और संकल्प के प्राधिकार के अनुसार, और बैंक को दी गई किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल द्वारा उक्त संकल्प के संदर्भ में प्राधिकृत किया गया है । ''

''पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद्द्वारा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सौंपी गई किसी प्रकार अथवा सभी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया ।''

3. बैंक के शेयरधारकों में से, केन्द्र सरकार को छोड़कर, एक निदेशक के निर्वाचन के संबंध में प्राप्त वैध नामांकन के अनुसरण में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (बाद में ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बाद में ''विनियम'' के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (बाद में ''योजना'' के रूप में निर्दिष्ट) और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 (बाद में विनियमन के रूप में संदर्भित), उक्त की धारा 19 के अनुसार और अधिसूचना संख्या डीबीओडी.बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007–08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी. बीसी. सं. 95/29.39.001/2010–11 दिनांक 23 मई, 2011 के साथ पठित भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर–सरकारी

निदेशक के रुप में निर्णय लेने हेतु विहित मौजूदा शर्तों 25 मार्च, 2015 (पत्र एफ. सं. 16/51/2012 बी ओ–1 दिनांक 28.04.2015 द्वारा प्रेषित) में और निर्वाचन के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित किया जाता है:–

"संकल्प पारित किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (i) के साथ पठित संबंधित योजना, उसके तहत बनाए गए विनियम, आरबीआई अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसरण में केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों से ..... को निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया, जो एत्तद्वारा बैंक के निदेशक के रुप में उक्त तारीख से अगले निर्वाचन की तारीख तक और उक्त कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि पूरा करने तक कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे ।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
ह/–
बिक्रमजीत सोम
कंपनी सचिव

दिनांक: 07 मई, 2015
स्थान: कोलकाता

टिप्पणियां:

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक को बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है, तथा ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(ii) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रखने के लिए उसे बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता–700001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् 17 जून, 2015, बुधवार को कारोबार समय की समाप्ति से पहले तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए ।

उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा ।

यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रुप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रुप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उस लिखत से संबंधित है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं हो सकेगा ।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानों यदि वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो ।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रुप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कार्य कर सकता है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61(ii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उस बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, कि अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता–700001 में 17 जून, 2015, बुधवार को कारोबार अवधि की समाप्ति अथवा उससे चार दिन पहले जमा न की गई हो ।

3. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र एवं मतदान – पास

शेयरधारकों की सुविधा हेतु सूचना में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों / प्रतिनिधि धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र और मतदान पास पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थित हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 12 के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक के अंतरण बही को वार्षिक आम बैठक के संबंध में और बैंक द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से मंगलवार, 16 जून, 2015 से सोमवार, 22 जून, 2015 तक (दोनों दिनों समेत) बंद रखा जाएगा।

5. शेयरधारकों से अनुरोध

5.1. तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत पतों पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं।

5.2. खाते की जानकारी

अपने खाते के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक से कम से कम 4 दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक उनकी जानकारियों को तैयार रख सके ।

5.3. पतों के परिवर्तन को अधिसूचित करना

शेयरधारकों को उनके पते या बैंक खाते के विवरण में हुए किसी परिवर्तन से निम्नलिखित को अधिसूचित करने का अनुरोध किया जाता है–

क. इलेक्ट्रानिक रुप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों को

ख. प्रत्यक्ष रुप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर–

लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा) लि.
(इकाईः युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया)
59सी, चौरंगी रोड, 3रा तल
कोलकाता– 700020

5.4. स्थिति के परिवर्तन की रिकार्डिंग

गैर निवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित में परिवर्तन होने से रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., को तत्काल सूचित करें–

क. भारत वापस आनेपर स्थायी बंदोबस्त के लिए उनकी आवासीय स्थिति

ख. भारत में बैंक खाता का विवरण पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता सं., एमआईसीआर कोड, आईएफसी कोड, बैंक का पता एवं पिन, के साथ, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया हो

6. अदावे शेयर

अदावे शेयरों का विवरण निम्नलिखित हैः

01.04.14 तक	वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर	दिनांक 31.03.2015 तक उचंत खाते में शेष राशि
6707	300	6407

अदावे/बकाया शेयरों के संबंध में मदतान अधिकार कानूनी हकदारों द्वारा दावा किये जाने तक अवरुद्ध रहेंगे ।

7. शेयरधारकों की पूछताछ

यह सराहनीय होगा कि यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न, यदि कोई हो तो, को पर्याप्त समय रहते भेज दें, तो बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है–

शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, चौथी मंजिल,
11, हेमन्त बसु सरणी,
कोलकाता 700001
अथवा ई–मेलः investors@unitedbank-co-in

8. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने किसी भी शेयर के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

9. ई–मतदान

दिनांक 07 मई, 2015 को बैंक की वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रानिक रुप से मतदान करने के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों को सक्षम करने हेतु सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से सूचीबद्धता करार के खण्ड 35बी के अनुसार बैंक ई–मतदान की सहर्ष सुविधा प्रदान करता है। बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामणियन एवं कंपनी., सेवारत कंपनी सचिव को निष्पक्ष और

पारदर्शी तरीके से ई– वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है। ई– मतदान वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के ई–मतदान अधिकार सोमवार, 15 जून, 2015 तक (निर्धारित तिथि) उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर मद सं. 1 और 2 के संबंध में स्वीकार किया जाएगा। मद सं. 3 के संबंध में, मतदान अधिकार शुक्रवार, 22 मई, 2015 (निर्दिष्ट तारीख) को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर स्वीकृत किया जाएगा ।

i) मतदान की अवधि 19 जून 2015 शुक्रवार को प्रातः 10.00 बजे आरम्भ होकर 21 जून 2015 रविवार को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, जो शेयर भौतिक रुप में या डीमैट फॉर्म में रखे हो, जिसकी निर्धारित तारीख और/या निर्दिष्ट तारीख जैसा भी मामला हो, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। ई–वोटिंग मॉड्यूल उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा।

ii) मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक ई–मतदान के लिए वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगइन करें ।

iii) "शेयरहोल्डर्स" टैब पर क्लिक करें ।

iv) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें

क. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का बेनिफीसरी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए: 8 अंकों के क्लाईंट आईडी के बाद 8 अक्षर के डीपी आईडी

ग. भौतिक रुप में शेयर धारण किए हुए सदस्य बैंक द्वारा पंजीकृत फोलियों संख्या दर्ज करें

v) प्रदर्शित इमेज वेरीफिकेशन को दर्ज करें और लॉगिंन पर क्लिक करें।

vi) यदि आप डीमैट के रुप में शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगऑन किए थे और इससे पहले किसी भी कंपनी की हाल ही के वोटिंग में मतदान किए हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

vii) यदि आप प्रथमवार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें

	डीमैट रुप में एवं भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक 'पैन की प्रविष्टि करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ–साथ भौतिक रुप के शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे अपने **नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें।** • **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें।** अर्थात् यदि आपका नाम रमेश कुमार है तो क्रम संख्या 1 के साथ पैन फिल्ड में आरए00000001 दर्ज करें।
जन्म–तिथि	आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या उक्त डीमैट खाते के लिए बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि या फोलियो संख्या डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई की प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक विवरण	उक्त डीमैट खाते या फोलियो के लिए आपके डीमैट खाते में किए गए रिकॉर्ड या बैंक रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण की प्रविष्टि करें। • लॉगिन करने के लिए जन्मतिथि या लाभांश बैंक विवरण की प्रविष्टि करें। यदि विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के साथ रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो कृपया अपनी सदस्यता आईडी/फोलियो सं. उक्त दिशानिर्देश (vii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें ।

viii) इन ब्योरों को भरने के बाद उचित रुप से "सबमिट" टैब पर क्लिक करें ।

ix) भौतिक रुप से शेयर रखने वाले सदस्य इसके बाद, कंपनी चयनित स्क्रीन पर सीधे पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रियेसन मेन्यु' तक पहुंच जाएंगें, जिसमें उन्हें अनिवार्य रुप में नया पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं जिसपर किसी भी अन्य कंपनी की संकल्पनाओं के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–मतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की हिस्सेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत ध्यान दें।

X) भौतिक रुप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्योरा का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई–मतदान के लिए किया जा सकता है ।

XI) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए ईवीएसएम पर क्लिक करें, जिसे आप वोट करने के लिए चुनते हैं ।

XII) मतदान पृष्ठ पर, आप "रिजोल्यूसन डिस्क्रिपशन" देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए "हाँ/नहीं" विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प हाँ रिजोल्यूसन पर आप की सहमति का तात्पर्य है और विकल्प नहीं रिजोल्यूसन पर आप की असहमति का तात्पर्य है।

XIII) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन ब्योरा देखना चाहते हैं तो "रिजोल्यूसन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

XIV) रिजोल्यूसन चयन करने के बाद, आप वोट करने का फैसला किया है, "सबमिट" पर क्लिक करें। एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए, "रद्द (कैंसल)" पर क्लिक करें और उसके अनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

XV) रिजोल्यूसन पर आप अपना वोट एक बार "पुष्टि" कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

XVI) वोटिंग पृष्ठ को "मुद्रित करने के लिए यहाँ क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके, आप अपने द्वारा किया गया मतदान का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

XVII) यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गए हो तो वे यूजर आईडी दर्ज करें और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और फोर्गेट पासवर्ड पर क्लिक करें एवं प्रणाली द्वारा प्रेरित विवरण के अनुसार प्रविष्टि करें।

XVIII) संस्थागत शेयरधारकों के लिए नोट

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात – व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) https://www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और कॉर्पोरेट के रूप में खुद को पंजीकृत करें।
- इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल किया जाना चाहिए।
- लॉगइन ब्योरा प्राप्त होने के बाद वे प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाएंगे। कंप्लायंस उपयोगकर्ता से खाता (ओं) को लिंक सक्षम हो जाएगा, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com मेल पर भेज दिया जाएगा और खातों के अनुमोदन पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी किए गए की बोर्ड संकल्प और पावर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

XIX) यदि आपको ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या मुद्दा हो तो यह सामान्यतः पूछे जाने वाले सवाल ("एफ ए क्यू") पर और ई–वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com के हेल्पडेस्क पर उपलब्ध है या इसे प्राप्त करने के लिए evoting@cdslindia.com पर आप ई–मेल करें।

महत्वपूर्णः शेयरधारक कृपया नोट करें कि युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए 2 ईवीएसएनएस है– पहला मद संख्या 1 और 2 प्रस्तावों से संबंधित है, जिसका मतदान शेयरधारकों द्वारा धारण किए गए शेयरों के अनुसार 15 जून 2015 (निर्धारित तिथि) को होगा और दूसरा मद संख्या 3 के प्रस्तावों से संबंधित है, जिसका मतदान शेयरधारकों द्वारा धारण किए गए शेयरों के अनुसार 22 मई 2015 (निर्दिष्ट तिथि) को होगा।

10. वार्षिक आम बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची मदें सहित चुनाव ई–वोटिंग मतदान द्वारा किया जाएगा। जो ई–वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे बैठक की तारीख को एजीएम स्थल पर मतदान में भाग लेने और मतदान करने का हकदार होंगे। इस संबंध में घोषणा के तुरंत बाद मतपत्र बैठक के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा और यह अपराह्न 1:00 बजे तक या बैंक द्वारा निर्धारित समय तक किया जा सकता है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों को सूचना पत्र के साथ भेजा गया या पंजीकरण के समय जारी मतपत्र पास के सौंपने के बाद ही उन्हें स्थापित काउंटरों पर मतपत्र जारी किया जाएगा। मद संख्या 1 एवं 2 से संबंधित निर्धारित तारीख यानी 15 जून 2015 को और मद संख्या 3 से संबंधित निर्दिष्ट तारीख यानी 22 मई 2015 को वोटों की संख्या उनके द्वारा धारण किए गए शेयरों की संख्या के बराबर होगा ।

11. ई वोटिंग और चुनाव के परिणामों

ई–वोटिंग और चुनाव की समेकित परिणाम की घोषणा बैठक के अंत में की जायेगी और यह बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

12. चुनाव में संवीक्षक

जैसा कि पहले ही ई–वोटिंग हेतु संकेत दिया गया है कि कार्य–सूची मद संख्या 1 एवं 2 के संबंध में, मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रामणियन एंड कंपनी के कंपनी सचिव संवीक्षक होंगे। बैठक के दौरान आयोजित मतदान में वे एक शेयरधारक के साथ संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

चुनाव के मतदान बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में, एस.एन. अनंतसुब्रामणियन एंड कंपनी (स्वतंत्र परामर्शदाता और संवीक्षक) और केन्द्रीय सरकार के नामित व्यक्ति की देखरेख में की जाएगी, जो एक पर्यवेक्षक और दूसरे संवीक्षक के रूप में कार्य करेगा।

13. तथ्यों को स्थापित करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण

13.1 कार्य सूची मद संख्या – 2

क) बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के कारोबार में बैंक है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी रू. 3000 करोड़ है। 31 मार्च 2013 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू. 839.51 करोड़ था।

ख) 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार बेसल III के नियमों के तहत, बैंक को निम्नलिखित पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखना आवश्यक है–

कोर इक्विटी	5.5%
कुल टीयर I	7.0%
कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात	9.0%

ग) वर्तमान में, बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी रू.688.43 करोड़ है। यह बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी की 82.003% है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधि निम्नांकित थी ।

ब्योरा (31.03.15 को)	राशि रू. करोड़ में	जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधि का % (बेसल III के तहत)
जोखिम भारित आस्तियां	66798	
टीयर I पूंजी	5021	7.52
टीयर II पूंजी	2034	3.05
कुल पूंजी	7055	10.57

घ) 31.03.2016 तक बैंक अपने व्यापार को बढ़ाकर – आस्ति और देयता दोनों को, रू. 200,000 करोड़ पार करने का लक्ष्य रखा है।

ड.) अनुमानित व्यापार के विकास के लिए और स्वस्थ सीआरएआर बनाए रखने के लिए बैंक को बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की आवश्यकता हो सकती है।

च) संशोधित प्रतिभूति संविदा विनियम नियम 1956 के अनुसार, बैंक को अगस्त, 2017 तक कम से कम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता (गैर–प्रवर्तक शेयरधारिता) सुनिश्चित करनी है । वर्तमान में, बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 17.997% है ।

छ) लक्ष्यित व्यवसाय वृद्धि के विस्तार और प्राप्ति के लिए अतिरिक्त पूंजी निधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु और बैंक के सामान्य उधार उद्देश्यों के लिए विनियामक अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए जिसे ऐसी कीमत पर प्रत्येक रु. 10/– के इक्विटी शेयर जारी करने के उद्देश्य से, जिसे अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव या अधिकार निर्गम या सशर्त संस्थागत स्थापन(नों), या ऐसे अन्य सुयोग्य माध्यमों के जरिए बंद करने का निर्धारण किया जा सकता है।

ज) क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा उपर्युक्त इक्विटी शेयर जारी करने के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना हैं कि:

i. सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VII के अनुसरण में इक्विटी शेयर के मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से संगत तारीख और/अथवा अन्य विनियम, जिसमें बोर्ड अथवा समिति इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम खोलने के लिए प्राधिकृत है, और अन्य प्रयोज्य प्रावधान के अनुसार सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने पर, उक्त अधिनियम और अन्य प्रयोज्य कानून, नियम, विनियम और इक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश, अगर कोई हो तो, निर्धारित तारीख वही होगा।